

# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक 1077 /स्था/2022

भोपाल, दिनांक 31 MAR 2022


// कार्यालय आदेश //

बोर्ड के आदेश कमांक 1694/स्था/2021 दिनांक 23/12/2021 के अनुक्रम में बोर्ड से बिना सम्मति प्राप्त संचालित उद्योगों/संस्थानों हेतु लागू "विवाद से विश्वास" योजना की अवधि दिनांक 1/4/2022 से 30/4/2022 तक एक माह हेतु बढ़ाई जाती है, योजना के संबंध में निम्न स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं :-

(अ) ऐसे उद्योग जिनके द्वारा कभी भी सम्मति नहीं ली गई है, उनको प्रथमतः स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी ।

(ब) ऐसे उद्योग जिनके द्वारा स्थापना/उत्पादन सम्मति ली गई है तथा उसका नवीनीकरण नहीं कराया है, वे भी उक्त योजना अवधि में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

(स) दिनांक 1/1/2022 से 31/3/2022 तक की अवधि में सम्मति आवेदन करने वाले उद्योगों पर पूर्व वर्षों की अवधि के लिये देय स्थापना/ उत्पादन सम्मति की शुल्क दरें अधिसूचना कमांक 5/1027/ 2021/322-3 भोपाल दिनांक 19/1/2022 अनुसार वर्तमान विनिधान राशि पर देय होंगी । विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा ।

  
( ए०ए० मिश्रा )  
सदस्य सचिव

पृ० कमांक 1078/स्था/2021  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 31 MAR 2022

- 1 स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ
- 2 समस्त यूनिट हेड, मुख्यालय, समस्त आंचलिक अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 3 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, समस्त जिला मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ । कृपया उक्त संबंधी सूचना कार्यालय में पदर्शित करें
- 4 समस्त औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ । कृपया उद्योगों/संस्थानों को अवगत करायें ।
- 5 नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/आईटी शाखा/कार्यालय आदेश

( ए०ए० मिश्रा )  
सदस्य सचिव,